

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niraman.mpsamb@gmail.com

वेबसाइट - www.mpsmandiboard.gov.in

भोपाल, दिनांक 6/08/2024

क्रमांक/नियमन/माधुरी रिफाइनर्स/723/ 358

प्रति,

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय.....(समस्त)।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति(समस्त)।

विषय - मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)
नियम, 2009 के अंतर्गत जारी विशेष अनुज्ञप्ति के संबंध में।

संदर्भ - मेसर्स माधुरी रिफाइनर्स प्रायवेट लिमिटेड का आवेदन दिनांक - 22/07/2024

आवेदक मेसर्स माधुरी रिफाइनर्स प्रायवेट लिमिटेड का संदर्भित आवेदन संलग्न है जोकि स्वतः स्पष्ट है। इस संबंध में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 के नियम 8 - विशेष अनुज्ञप्ति दी जाने संबंधी प्रक्रिया में उपनियम 8 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें निम्न प्रावधान है -


नियम 8(8) - इस प्रकार प्रदान की गई विशेष अनुज्ञप्ति, केवल विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों में और अनुज्ञप्ति क्रय केन्द्रों पर ही प्रभावी होगी:

परन्तु विशेष अनुज्ञप्तिधारक/व्यापारी द्वारा विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के मण्डी/उपमण्डी प्रांगण में अधिसूचित कृषि उपज का क्रय और वाणिज्यिक संव्यवहार के अधीन अधिसूचित कृषि उपज का क्रय-विक्रय, मण्डी क्षेत्र के अन्य अनुज्ञप्तिधारक/व्यापारी के समान ही अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अधीन किया जा सकेगा, उपविधियों में विहित उपबन्ध ऐसे समस्त क्रय, विक्रय तथा प्रसंस्करण के लिये विशेष अनुज्ञप्तिधारक पर समान रूप से लागू होंगे।

संदर्भित आवेदन में किए जा रहे अनुरोध के संबंध में एवं अन्य किसी भी विशेष अनुसंधानकारक द्वारा भी इस संबंध में किए जाने वाले समान प्रकृति के अनुरोध के संबंध में उक्त नियम के अनुसार मंडी समितियों के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है। नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

क्रय स्कंध के भुगतान पत्रकों के सत्यापन की व्यवस्था पूर्ववत् है। कृषकों को नगद भुगतान, ऑनलाइन भुगतान का विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही भुगतान पत्रक सत्यापित किए जाए तथा मंडी के शोध्यों की नियमानुसार प्राप्ति उपरांत ही निकासी की अनुमति दी जाए।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

 06/08/24

संयुक्त संचालक (नियमन)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड


भोपाल

क्रमांक/नियमन/माधुरी रिफाइनर्स/723/ 359

भोपाल, दिनांक 6/08/2024

प्रतिलिपि :-

मेसर्स माधुरी रिफाइनर्स प्रायवेट लिमिटेड। संदर्भित आवेदन के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

 06/08/24

संयुक्त संचालक (नियमन)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल



हर किचन की इज्जत

To,
The Managing Director
MP Agriculture Marketing Board
Bhopal

Sub: Addition of Chana Purchasing from Mandi Premises
Ref: Special License No. S.L./2024/42
R/sirs

In above captioned subject matter we wish to request you as, We had got special mandi license for purchasing of "Tilhan" from following mandi of Madhya Pradesh State:-

01. Indore.
02. Dhar.
03. Khirkiya.
04. Sihor.
05. Rajgad (Dhar).
06. Badnagar.
07. Begam Ganj.
08. Vidisha.
09. Khategoan.
10. Harda.
11. Khandwa.
12. Ganj-Basoda.
13. Timarni.

Further we request you allow us for purchase of "Dalhan" along with the "Tilhan" from following mandies.

01. Khirkiya.
02. Dhar.
03. Indore.

For your ready reference we are enclosing here with a copy of license provided to us. Hope you will find it in order and give permission for the same.
Thanks, and Regards.

For and on behalf of
M/s. Madhuri Refiners Private Limited

(Managing Director)
Dated: 31.05.2024.
Place: Indore.
Enclosed: As Above.

सिद्धिपति
ful-CPB.

07/06/2024

Marketed & Pkd. by :

Madhuri Refiners Pvt. Ltd.

Survey No. 14/2, Near Hotel Nirwana, M.R. 10 Road,
Village - Kumedi, Tehsil : Sanwar, Dist. INDORE (M.P.)
Ph. : +91-98267-66480, +91-73899-41748-49

CIN No. : U23201MP1995PTC009194
GSTIN : 23AABCM1884C1ZV

